

Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India

1. उस अधिनियम का नाम बताइए जो कानूनी रूप से भारतीय बच्चों को गोद लेने से संबंधित है?/
Name the Act which deals with the Adoption of Indian Children legally.
उत्तर/Answer: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
/Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
2. प्राधिकरण किस अनुच्छेद के तहत अनुरूपता प्रमाण-पत्र जारी करेगा ?/ The Authority shall issue a Conformity Certificate under which Article?
उत्तर/Answer: प्राधिकरण अनुसूची XI में दिए गए प्रारूप में हेग दत्तक ग्रहण कन्वेंशन के अनुच्छेद 23 के तहत अनुरूपता प्रमाण पत्र जारी करेगा/ The Authority shall issue a Conformity Certificate under Article 23 of the Hague Adoption Convention in the format provided in Schedule XI.
3. दत्तक-ग्रहण विनियमन 2022 के अनुसार, एक जैविक माता-पिता है:-/ According to Adoption Regulation 2022, a biological parent is:
उत्तर/Answer: एक पुरुष या महिला जो आनुवंशिक रूप से पिता या बच्चे की मां है।/ A man or woman who is genetically father or mother of a child.
4. बाल अध्ययन रिपोर्ट का क्या अर्थ है ?/ Child Study Report means?
उत्तर/Answer: वह रिपोर्ट जिसमें अनुसूची II में दिए गए प्रारूप के अनुसार बच्चे की जन्म तिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि सहित विवरण शामिल हैं।/ the report which contains details about the child, including their date of birth and social background as per the format provided in Schedule II.
5. जब भारत में रहने वाले भारत के नागरिक द्वारा भारतीय बच्चे को गोद लिया जाता है तो इसे किस प्रकार का दत्तक ग्रहण कहा जाएगा ?/ What type of adoption it would be called when an adoption of a child by a citizen of India residing in India done?
उत्तर/Answer: देश के भीतर दत्तक-ग्रहण/ In-country adoption.
6. गोद लेने के उद्देश्य से “बड़े बच्चे” का अर्थ है ?/ “older child” for the purpose of adoption mean:
उत्तर/Answer: एक बच्चा जो पांच वर्ष से अधिक आयु का है।/ a child who is above five years of age.
7. सौतेलै माता-पिता द्वारा दत्तक-ग्रहण का क्या मतलब है?/ What does Step Parent Adoption means?

Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India

उत्तर/Answer: कोई भी स्थिति जिसमें कोई अपने पति या पत्नी के बच्चे के लिए कानूनी अभिभावक बन जाता है/ any situation in which someone becomes a legal parent for his or her spouse's child.

8. चिकित्सा जांच रिपोर्ट का अर्थ ?/ Medical Examination Report means?

उत्तर/Answer: अनुसूची III में दिए गए प्रारूप में विधिवत लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक द्वारा दिए गए बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में रिपोर्ट है।/ the report in respect of health condition of a child given by a duly licensed physician in the format provided in Schedule III.

9. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) में प्रदान किए गए किसी भी विकलांगता से पीड़ित बच्चे को क्या कहा जाता है जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची XVIII और अनुसूची III (भाग E) में दिया गया है ?/ Child who is suffering from any disability as provided in the Rights of Persons With Disabilities Act, 2016(49 of 2016)as given in Schedule XVIII and Schedule III (Part E) of these Regulations is called?

उत्तर/Answer: विशेष आवश्यकता वाला बच्चा/ Special Needs Child.

10. CARA का पूरा नाम क्या है ?/ CARA stands for?

उत्तर/Answer: केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण।/ Central Adoption Resource Authority.

11. अगर आपको 1 सप्ताह का बच्चा बिना अभिभावक के सड़क किनारे पड़ा मिले तो आप क्या करेंगे ?/ What would you do if you find a 1 week old baby lying on the roadside without guardian?

उत्तर/Answer: निकटतम बाल कल्याण समिति / जिला बाल संरक्षण इकाई को रिपोर्ट करेंगे।/ Report to nearest Child Welfare Committee /District Child Protection Unit.

12. परित्यक्त बच्चे का क्या अर्थ है ?/ What does Abandoned Child means?

उत्तर/Answer: अपने जैविक माता-पिता / दत्तक माता-पिता / अभिभावकों द्वारा परित्यक्त बच्चा/ Child deserted by his biological parents/adoptive parents/guardians.

13. अभ्यर्पित बच्चे का क्या अर्थ है ?/ What does Surrendered Child mean ?

Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India

उत्तर/Answer: माता-पिता या अभिभावक द्वारा बाल कल्याण समिति को दिया गया बच्चा/
Child relinquished by the parent or guardian to the Child Welfare committee.

14. कारा मुख्य रूप से बच्चों की किन श्रेणियों को गोद लेने से संबंधित है ?/ CARA primarily deals with adoption of which categories of children?

उत्तर/Answer: अनाथ, परित्यक्त और समर्पित बच्चे/ Orphan, Abandoned and Surrendered Children.

15. निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल एक बच्चे को गोद लेने के लिए समर्पित है ?/ Which of the following portals is dedicated for adoption of a child?

उत्तर/Answer: केयरिंग्स/CARINGS.

16. जैविक माता-पिता को अपने बच्चे का अभ्यर्पित करने के बाद कितना पुनर्विचार समय दिया जा सकता है ?/ How much reconsideration time can be given to biological parents after surrendering his/her child?

उत्तर/Answer: 60 दिन/ 60 Days

17. माता-पिता अपने बच्चे को अभ्यर्पित (surrender) करने के लिए किससे संपर्क कर सकते हैं?/ Whom the parent can approach to surrender his/her child ?

उत्तर/Answer: बाल कल्याण समिति / दत्तक-ग्रहण अभिकरण / जिला बाल संरक्षण इकाई/ Child Welfare Committee/Adoption agency/ District Child Protection Unit.

18. SARA का पूरा नाम क्या है ?/ SARA stands for....?

उत्तर/Answer: राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण/ State Adoption Resource Agency.

19. बच्चा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरा नहीं किया है?/ Child is a person who has not completed:

उत्तर/Answer: 18 वर्ष की आयु/ 18 years of age.

20. यदि एक विवाहित जोड़े से पैदा हुए बच्चे को अभ्यर्पित किया जाना है, तो सबसे अधिक क्या आवश्यक है ?/ If a child born to a married couple is to be surrendered, what is required the most ?

उत्तर/Answer: समर्पण के विलेख पर माता-पिता दोनों के हस्ताक्षर/ Both parent's sign on the Deed of Surrender.

Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India

21. यदि किसी बच्चे को माता-पिता या कानूनी अभिभावक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है, तो बच्चे को के रूप में माना जाएगा ?/ In case, a child is surrendered by a person other than the parents or legal guardian, the child shall be treated as ?

उत्तर/Answer: परित्यक्त बच्चा/ Abandoned Child.

22. मैं और मेरी पत्नी बच्चे को अभ्यर्पित करना चाहते हैं, हम अपनी पहचान का खुलासा करने के इच्छुक नहीं हैं, क्या हम इसे छिपा सकते हैं?/ Me and my wife want to surrender the child, we are not willing to disclose our identity, can we hide it ?

उत्तर/Answer: अभ्यर्पित करने वाले माता-पिता की गोपनीयता का उचित ध्यान रखा जाएगा/ Due regard shall be given to the privacy of the surrendering parents.

23. मैं बिन ब्याही मां हूं, क्या मैं अपने बच्चे को अपनी बड़ी बहन को दे सकती हूं ?/I am an unwed mother can I give my child to my elder sister?

उत्तर /Answer: हां, रिश्तेदार गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से/ Yes, through the legal process of Relative Adoption.

24. मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, पुरानी बीमारी के कारण और मैं अपने बच्चे को अपने साथ रखने और उसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हूं, मुझे क्या करना चाहिए?/ My wife died, because of chronic disease & I am not able to keep my baby with me and take care of him, what should I do?

उत्तर/Answer: बाल कल्याण समिति से संपर्क करें/ Approach Child Welfare Committee.

25. भावी दत्तक माता-पिता को दत्तक-ग्रहण पूर्व परामर्श प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?/ Who is responsible for providing pre-adoption counselling to the prospective adoptive parents?

उत्तर/Answer: जिला बाल संरक्षण इकाई / विशेष दत्तक-ग्रहण अभिकरण/ District Child Protection Unit/Specialised Adoption Agency

26. जेजे अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के तहत देश के भीतर दत्तक-ग्रहण के प्रकार क्या हैं?/ 26. What are the types of adoption within the country under the JJ Act, 2015 (as amended in 2021)?

उत्तर/Answer: अनाथ, परित्यक्त और समर्पित/ orphan, abandoned and surrendered.

Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India

27. प्राधिकरण से दत्तक-ग्रहण आदेश प्राप्त करने के बाद गोद लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है ?/ Adoption process ends after getting an Adoption Order from authority?
उत्तर/Answer: गलत/FALSE
28. बच्चे को गोद लेने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अवैध है?/ Which of the following method of adopting a child is illegal?
उत्तर/Answer: किसी अज्ञात व्यक्ति या बिचौलियों से गोद लेना, अस्पताल या नर्सिंग होम से गोद लेना, गैर-पंजीकृत एजेंसियों से गोद लेना।/Adoption from an unknown person or middlemen, Adoption from Hospital or nursing home, Adoption from non-registering agencies.
29. गोद लेने की प्रक्रिया में, अधिकारियों से किस चरण में परामर्श प्रदान किया जाएगा ?/ In the process of Adoption, at what step counselling will be provided from authorities?
उत्तर/Answer: भावी दत्तक माता-पिता की गोद लेने से पहले परामर्श, गोद लेने से पहले और गोद लेने के दौरान बड़े बच्चों की परामर्श, जब भी आवश्यकता हो, दत्तक माता-पिता की परामर्श।/Pre-adoption counseling of prospective Adoptive Parents, counseling of older children before and during adoption, counseling of adoptive parents whenever required.
30. एक..... , जेजे अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के अनुसार एक बच्ची को गोद लेने के लिए पात्र नहीं है।/ Ais not eligible to adopt a girl child as per the JJ Act, 2015 (amended in 2021).
उत्तर/Answer: एकल पुरुष/ Single Male.
31. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ?/ From following statements which one is correct?
उत्तर/Answer: निर्णय लेने और नियुक्ति करते समय बच्चे का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होगा, बच्चे को समयबद्ध तरीके से देश के भीतर गोद लेने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, किसी को भी गोद लेने के माध्यम से कोई लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा।/The child's best interest shall be of prime importance while deciding and placement, preference shall be given to place the child in adoption within the country in a time bound manner, No one shall derive any gain, whether financial or otherwise, through adoption.

Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India

32. सामान्य बच्चे के लिए पंजीकृत भावी दत्तक माता-पिता उसी पंजीकरण के साथ, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या दत्तक ग्रहण में कठिनाई वाले बच्चों को गोद ले सकते हैं ।/ Prospective adoptive parents registered for normal child shall be able to adopt a special needs child or hard-to-place child with the same registration.

उत्तर/Answer: हाँ/YES

33. कौन सा बच्चा गोद लेने के योग्य है ?/ Which child is eligible for adoption?

उत्तर/Answer: बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित/ Child declared legally free for adoption by Child Welfare Committee

34. चार वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने के लिए, एक जोड़े के मामले में जेजे अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के अनुसार उल्लिखित अधिकतम आयु क्या है?/ To adopt a child less than four years old, What is the maximum age mentioned in as per the JJ Act, 2015 (amended in 2021) in case of a couple ?

उत्तर/Answer: अधिकतम समग्र आयु 90 वर्ष है/ Maximum composite age is 90 years.

35. जेजे अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के अनुसार 8 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे को गोद लेने के लिए, एक जोड़े के लिए अधिकतम समग्र आयु क्या है?/ For adopting a child between 8 and 18 years, what is the maximum composite age for a couple as per the JJ Act, 2015 (amended in 2021)?

उत्तर/Answer: अधिकतम समग्र आयु 110 वर्ष है/ Maximum composite age is 110 years.

36. HSR की फुल फॉर्म क्या है ?/ What is the full form of HSR?

उत्तर/Answer: गृह अध्ययन रिपोर्ट (Home Study Report)/ Home Study Report.

37. सही उत्तर चुनें।/ Choose correct answer.

पहला कथन: यदि विवाहित जोड़े से पैदा हुए बच्चे को आत्मसमर्पण किया जाना है, तो माता-पिता दोनों समर्पण विलेख पर हस्ताक्षर करेंगे।/ i. 1 st statement:- If a child born to a married couple is to be surrendered, both parents shall sign the Deed of Surrender

दूसरा कथन:- यदि विवाहित जोड़े से पैदा हुए बच्चे को एक जैविक माता-पिता द्वारा आत्मसमर्पण किया जाना है और दूसरे माता-पिता का पता नहीं है, तो बच्चे को परित्यक्त बच्चे

Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India

के रूप में माना जाएगा।/ ii. 2 nd statement:- If a child born to a married couple is to be surrendered by one biological parent and the whereabouts of the other parent are not known, the child shall be treated as abandoned child.

उत्तर/Answer: पहला और दूसरा कथन सही है/ 1 st and 2 nd statement is correct.

38. गोद लेने के उद्देश्य के लिए, बड़े बच्चे का क्या मतलब है?/ For the purpose of adoption, what Older Child means?

उत्तर/Answer: पांच वर्ष से अधिक आयु का बच्चा/ Child who is above Five Years of age

39. जेजे अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के अनुसार बच्चे और भावी दत्तक माता-पिता में से किसी एक के बीच न्यूनतम आयु अंतर क्या है ?/ What is the minimum age difference between the child and either of the prospective adoptive parents as per the JJ Act, 2015 (amended in 2021)?

उत्तर /Answer: पच्चीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए/ Shall not be less than twenty-five years.

40. मैंने कानूनी रूप से एक ऐसी महिला से शादी की है, जिसका एक बच्चा है, तो मैं उस बच्चे का कानूनी पिता कैसे बनूंगा ?/ I got legally married with a woman who is having a child, so how will I become the legal father of that child?

उत्तर/Answer: सौतेले संबंधी गोद लेने के लिए आगे बढ़ें/ Proceed for Step Adoption.

41. जेजे अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के अनुसार, दो या अधिक बच्चों वाले जोड़ों को केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और दत्तक ग्रहण में कठिनाई वाले बच्चों के लिए माना जाएगा ।/ As per the JJ Act, 2015 (amended in 2021) Couples with two or more children shall only be considered for Special Needs children and hard to place children.

उत्तर/Answer: सही/TRUE

42. किसी दंपति को कोई बच्चा गोद नहीं दिया जाएगा जब तक कि उनके कम से कमवर्षों के स्थिर वैवाहिक संबंध न हो।/ No child shall be given in adoption to a couple unless they have at least years of stable marital relationship.

उत्तर/Answer: 2 साल/ 2 Years

**Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India**

43. बाल रेफरल के लिए भावी दत्तक माता-पिता की वरिष्ठता किस पर निर्भर करेगी ?/
The seniority of the prospective adoptive parents for child referral shall be depends on?
उत्तर/Answer: केयरिंग्स पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने की तारीख से/ From the date of completion of registration process on CARINGS.
44. विशेष आवश्यकता वाला बच्चा कौन है?/ Who is the Special Needs Child?
उत्तर/Answer: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट के भाग ई में प्रदान किए गए अनुसार किसी भी विकलांगता से पीड़ित बच्चा/ Child who is suffering from any disability as provided in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and Part E of Medical Examination Report.
45. मुझे गोद लेने के लिए एक बच्चे का रेफरल मिला; मुझे उस बच्चे को कितने समय में आरक्षित करना होगा?/ I got a referral of a child for adoption; in how much time do I have to reserve that child?
उत्तर/Answer: 48 घंटे के भीतर/ Within 48 Hours
46. क्या होता है यदि मैंने एक अनुमत समय अवधि के भीतर एक बच्चे को आरक्षित नहीं किया ?/ What happens if I didn't reserve a child within a permitted time period?
उत्तर/Answer: अनारक्षित बच्चे की प्रोफाइल प्रतीक्षा सूची में अन्य संभावित दत्तक माता-पिता के लिए जारी की जाएगी/ That profile of the unreserved child shall be released for other Prospective Adoptive Parents in the waiting list.
47. बच्चा गोद लेने के लिये आपका शादीशुदा होना जरूरी है ।/ You have to be married to adopt a child.
उत्तर/Answer: गलत/FALSE
48. भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) की पात्रता क्या है?/ What is the eligibility of Prospective Adoptive Parents?
उत्तर/Answer: शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, स्वस्थ मानसिक रूप से/ Shall be physically fit, Financially sound, Mentally capable.
49. क्या होता है जब निवासी भारतीय (RI) या अनिवासी भारतीय (NRI) या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) भावी दत्तक माता-पिता तीन रेफरल में से एक बच्चे को आरक्षित नहीं करते हैं ?/ What happens when resident Indian or non-resident Indian

Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India

or Overseas Citizen of India Cardholder prospective adoptive parents do not reserve a child, out of three referrals?

उत्तर/Answer: ऐसे माता-पिता को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा/
Such parents shall be debarred for a period of one year.

50. एक बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया में लाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है ?/ Which of the following is necessary to bring a child into the process of adoption?

उत्तर/Answer: बच्चा कानूनी रूप से स्वतंत्र होना चाहिए/ Child should be legally free.

51. जब कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के बच्चे के लिए कानूनी माता-पिता बन जाता है तो इसे किस प्रकार का गोद लेना कहा जाएगा ?/ What type of adoption it would be called when a person becomes a legal parent for his or her spouse's child?

उत्तर/Answer: सौतेले माता - पिता द्वार दत्तक-ग्रहण (स्टेप एडॉप्शन)/ Step Adoption

52. चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट किसके स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट है ?/ Medical Examination Report is the report in respect of health condition of whom?

उत्तर/Answer: बच्चे को गोद लिया जाना/ Child to be adopted

53. जब भारत में रहने वाले भारत के नागरिक द्वारा भारतीय बच्चे को गोद लिया जाता है तो इसे किस प्रकार का दत्तक ग्रहण कहा जाएगा?/ What type of adoption it would be called when an adoption of a child by a citizen of India residing in India done?

उत्तर/Answer: देश के भीतर दत्तक-ग्रहण/In-country Adoption

54. जब किसी बच्चे की अस्थायी कस्टडी भावी दत्तक माता-पिता को दी जाती है, जब तक कि गोद लेने का आदेश नहीं दिया जाता है, तब तक इस चरण को क्या कहा जाता है ?/ When the temporary custody of a child is given to prospective adoptive parents, till the adoption order is granted, this stage is called?

उत्तर/Answer: गोद लेने से पहले पालन-पोषण देखरेख/Pre-Adoption Foster Care

55. जेजे अधिनियम (2015) के अनुसार, 2021 में संशोधित दत्तक ग्रहण आदेश केवल किससे प्राप्त किया जा सकता है?/ As per the JJ Act(2015), amended in 2021, Adoption Order can be obtained only from ?

उत्तर/Answer: जिला मजिस्ट्रेट/ District Magistrate

**Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India**

56. कौन एक बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित कर सकता है?/
Who can declare a child legally free for Adoption?
उत्तर/Answer: बाल कल्याण समिति (CWC)/ Child Welfare Committee (CWC)
57. नया पालन दत्तक-ग्रहण (फोस्टर एडॉप्शन) प्लेटफॉर्म किस पोर्टल पर लाइव हो गया है ?/
The new Foster Adoption Platform has gone live on which Portal ?
उत्तर/Answer: केयरिंग्स/CARINGS
58. दत्तक माता-पिता को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा जब ... ?/
Prospective Adoptive Parents shall be debarred for a period of one year when... ?
उत्तर/Answer: जब वे तीन रेफरल में से एक बच्चे को आरक्षित नहीं करते हैं/ When they do not reserve a child out of three referrals.
59. भारत में केवल निःसंतान दंपति ही बच्चा गोद ले सकते हैं ? Only Childless couples can adopt a child in India.
उत्तर/Answer: नहीं/No
60. यदि कोई दंपति बांझपन के कारण अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, तो क्या उन्हें बच्चे को गोद लेने के लिए बांझपन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ?/ If a couple can't have their own baby because of infertility, do they need to submit infertility certificate for the adoption of a child?
उत्तर/Answer: नहीं/No
61. भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) ने एक बच्चे को गोद लिया है। क्या भावी दत्तक माता-पिता(PAPs) दूसरे बच्चे को गोद ले सकता है ?/ A PAP has adopted one child. Can the PAP adopt another child?
उत्तर/Answer: हाँ/Yes
62. किस उम्र तक बच्चे को गोद लिया जा सकता है ?/ Upto what age a child can be adopted?
उत्तर/Answer: 18 वर्ष की आयु तक/ Up to 18 years of age
63. क्या बच्चे को गोद लेने के लिए उसकी सहमति आवश्यक है ?/ Does the consent of the child is required for adoption ?
उत्तर/Answer: हाँ, 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चे के लिए/ Yes, for a child aged 5 Years and above.

Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India

64. एक भावी दत्तक माता-पिता कैसे जानते हैं कि वे एक बच्चे से मेल(matched) खाते हैं ?/ How do a Prospective Adoptive Parent know about that they are matched with a Child ?
उत्तर/Answer: उन्हें एसएमएस मिलेगा/ उन्हें ई-मेल मिलेगा/ वे पोर्टल पर जांच कर सकते हैं/ They will get SMS, E-mail, They can check on Portal.
65. क्या होगा यदि भावी दत्तक माता-पिता निर्धारित 48 घंटों के भीतर बच्चे को आरक्षित नहीं करते हैं ?/ What will happen if the Prospective Adoptive Parents not reserve child within stipulated 48 hours?
उत्तर/Answer: भावी दत्तक माता-पिता को बच्चे की उपलब्धता के अनुसार, 30 दिनों की अवधि के बाद फिर से एक और रेफरल मिलेगा/ PAP will again get another referral after a period of 30 Days subject to the availability of the child.
66. यदि भावी दत्तक माता-पिता पोर्टल में एक बच्चा सुरक्षित रखता है और बाद में विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) में बच्चे को शारीरिक रूप से देखते समय बच्चे को अस्वीकार कर देता है, तो क्या होगा?/ If the PAP reserves a child in the portal and afterwards rejects the child while seeing the child physically in the SAA, what will happen?
उत्तर/Answer: वे फिर से प्रतीक्षा सूची के नीचे आ जाएंगे/ They will again come to the bottom of the waiting list.
67. अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण में भारतीय बच्चे को कौन गोद ले सकता है?/ Who can take adoption of Indian child in inter-country adoption?
उत्तर/Answer: अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई), विदेशी नागरिक/ Non-resident Indian (NRI)/ Overseas citizens of India (OCI)/ Foreign Nationals.
68. SEVEN-DAY पोर्टल से सीधे एक बच्चे को कौन आरक्षित कर सकता है ?/ Who can directly reserve a child from SEVEN-DAY Portal ?
उत्तर/Answer: भारतीय निवासी (RI) / अनिवासी भारतीय (NRI) / भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) भावी दत्तक माता-पिता(PAPs) उनकी वरिष्ठता पर ध्यान दिए बिना/ RI/NRI/OCI PAPs irrespective of their seniority
69. यदि प्रारंभिक चरण में बच्चे को गोद लेने के बाद चुनौतियां हैं, तो एक दत्तक माता-पिता को क्या करना चाहिए ?/ If there are challenges in the initial phase, after adopting the child, what an adoptive parents should do?

Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India

उत्तर/Answer: उन्हें पेशेवर सहायता लेनी चाहिए और स्थिति को हल करने का प्रयास करना चाहिए/ They should seek professional help and try to resolve the situation.

70. एजेंसियों या प्राधिकरणों द्वारा गोद लेने के रिकॉर्ड की गोपनीयता कैसे सुनिश्चित की जाती है ?/ How does the confidentiality of adoption records ensured by agencies or authorities?

उत्तर/Answer: गोद लेने का आदेश किसी भी सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा/ The adoption order shall not be displayed on any public portal.

71. जेजे अधिनियम 2015 (2021 में संशोधित) के तहत भारत में बच्चे को गोद लेने के संबंध में निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें:/ Consider the following statements with respect to child adoption in India under JJ Act 2015 (amended in 2021):

- i. संभावित दत्तक माता-पिता को गोद लेने के शुल्क के रूप में गोद लेने का खर्च वहन करना होगा।/ i. The prospective adoptive parents shall bear the expenses for adoption as adoption fee.
- ii. एजेंसी को गोद लेने के लिए संभावित दत्तक माता-पिता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नकद या वस्तु में दान स्वीकार करने की अनुमति है।/ ii. Agency is permitted to accept donation in cash or kind, directly or indirectly, from the prospective adoptive parents for adoption.

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?/ Which of the above statement(s) is/are correct?

उत्तर/Answer: केवल i / Only i

72. देश के भीतर गोद लेने के लिए पंजीकरण के समय कौन से दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं ?/ What documents to be uploaded at the time of registration for In-Country Adoption ?

उत्तर/Answer: बच्चे को गोद लेने वाले व्यक्ति की वर्तमान पारिवारिक तस्वीर या फोटोग्राफ, पिछले वर्ष की आय का प्रमाण (वेतन पर्ची या सरकार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र विभाग या आयकर रिटर्न), एक चिकित्सक से प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि संभावित गोद लेने वाले माता-पिता अपनाने के लिए उपयुक्त हैं/ Current family photograph or Photograph of person adopting a child, Proof of income of last year (salary slip or income certificate issued by Govt. department or income tax return),

**Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India**

Certificate from a medical practitioner certifying that the prospective adoptive parents are fit to adopt.

73. देश के भीतर रिश्तेदार को गोद लेने के लिए प्रक्रिया के लिए जिनकी सहमति/सहमति आवश्यक है ?/ For In-Country relative adoption whose consent/consents is necessary for the procedure?

उत्तर/Answer: जैविक माता-पिता की सहमति, गोद लिए जाने वाले बड़े बच्चे की सहमति, जैविक परिवार में बड़े बच्चे या बच्चों की सहमति/ Consent of the biological parents, Consent of the older child to be adopted, Consent of the older child or children in the biological family.

74. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) किस मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है ?/ Central Adoption Resource Authority (CARA) is a statutory body of which Ministry?

उत्तर/Answer: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/ Ministry of Women and Child Development

75. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है ?/ What is the number of Child helpline?

उत्तर/Answer: 1098

76. देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (CNCP) का अर्थ है एक बच्चा :-/
Child in Need of Care and Protection (CNCP) means a child:

उत्तर /Answer: लापता और खोया हुआ बच्चा, माता-पिता या अभिभावक नहीं हैं, बिना किसी घर के पाया जाता है/ Missing and Lost child, Who does not have parents or guardian., Who is found without any home.

77. CARA किसको ध्यान में रखते हुए काम करता है ?/ CARA works to uphold

उत्तर/Answer: बच्चे की सर्वोत्तम रुचि/ Best interest of the child

78. यदि एक भावी दत्तक माता पिता (PAPs) के पास पहले ही दो सामान्य बच्चे हैं और एक और गोद लेना चाहते हैं। यह केवल हो सकता है:/ If a PAP has two normal children and wish to adopt one more. It can only be:

उत्तर/Answer: विशेष आवश्यकता वाला बच्चा/ Special child.

79. रीमा एक महिला बच्चे को गोद लेना चाहती है। वह क्या कर सकती है ?/ Reema wants to adopt a female child. What she can do?

उत्तर/Answer: कैरिंग्स पर रजिस्टर/ Register on CARINGS

**Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India**

80. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2021 में संशोधित) के अनुसार, MER का अर्थ है ?/ As per Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015(amended in 2021), MER stands for?
उत्तर/Answer: मेडिकल परीक्षा रिपोर्ट/ Medical Examination Report
81. सभी निर्धारित रेफरल की समाप्ति के बाद, एक माता-पिता अभी भी किसके जरिये बच्चा गोद ले सकते हैं ?/ After the exhaustion of all stipulated referrals, a parent can still adopt from:
उत्तर/Answer: तत्काल प्लेसमेंट पोर्टल/ Immediate Placement portal
82. OAS का अर्थ है ?/ OAS stands for?
उत्तर/Answer: अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित/ Orphaned, Abandoned and Surrendered
83. कैरिंग्स का पूरा रूप क्या है ?/ What is the full form of CARINGS?
उत्तर/Answer: चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम/ Child Adoption Resource Information & Guidance System
84. जब गोद लेने के लिए एक बच्चे को चुनना है तो भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) की प्राथमिकता क्या नहीं हो सकती है ?/ What cannot be the preference of PAPs when they chose a child for Adoption?
उत्तर/Answer: त्वचा का रंग/ Skin complexion
85. क्या एक महिला या पुरुष कन्या बच्चे को गोद ले सकता है ?/ Can a single female or male adopt a girl child?
उत्तर/Answer: महिला कर सकती है लेकिन पुरुष नहीं कर सकता/ Female can but Male can't.
86. 2 वर्ष के बच्चे को गोद लेने के लिए संभावित गोद लेने वाले भावी माता-पिता (PAPs) की अधिकतम समग्र आयु है :/ Maximum composite age of Prospective Adoptive Parents (PAPs) to adopt 2 years child is:
उत्तर/Answer: 85
87. 2 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष तक के बच्चे को गोद लेने के लिए संभावित गोद लेने वाले भावी माता-पिता (PAPs) की अधिकतम समग्र आयु है :/ Maximum composite age of Prospective Adoptive Parents (PAPs) to adopt above 2 years and up to 4 years child is:

**Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India**

उत्तर/Answer: 90

88. 4 वर्ष से अधिक और 8 वर्ष तक के बच्चे को गोद लेने के लिए संभावित गोद लेने वाली माता-पिता (PAPs) की अधिकतम समग्र आयु है :/ Maximum composite age of Prospective Adoptive Parents (PAPs) to adopt above 4 years and up to 8 years child is:

उत्तर/Answer: 100

89. 8 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के बच्चे को गोद लेने के लिए संभावित गोद लेने वाले भावी माता-पिता (PAPs) की अधिकतम समग्र आयु है :/ Maximum composite age of Prospective Adoptive Parents (PAPs) to adopt above 8 years and up to 18 years child is:

उत्तर/Answer: 110

90. 2 वर्ष तक के बच्चे को गोद लेने के लिए एकल संभावित गोद लेने वाले भावी माता-पिता (PAPs) की अधिकतम समग्र आयु है :/ Maximum composite age of Single Prospective Adoptive Parents (PAPs) to adopt up to 2 years child is:

उत्तर/Answer: 40

91. 2 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष तक के बच्चे के लिए एकल संभावित गोद लेने वाले भावी माता-पिता (PAPs) की अधिकतम समग्र आयु है :/ Maximum composite age of Single Prospective Adoptive Parents (PAPs) to above 2 and up to 4 years child is:

उत्तर/Answer: 45

92. 4 वर्ष से अधिक और 8 वर्ष तक के बच्चे के लिए एकल संभावित गोद लेने वाले भावी माता-पिता (PAPs) की अधिकतम समग्र आयु है :/ Maximum composite age of Single Prospective Adoptive Parents (PAPs) to above 4 and up to 8 years child is:

उत्तर/Answer: 50

93. 8 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के बच्चे के लिए एकल संभावित गोद लेने वाले भावी माता-पिता (PAPs) की अधिकतम समग्र आयु है :/ Maximum composite age of Single Prospective Adoptive Parents (PAPs) to above 8 and up to 18 years child is:

उत्तर/Answer: 55

Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India

94. कौन गोद लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी कर सकता है :/ Who can issue No Objection Certificate (NOC) for Adoption:
उत्तर/Answer: केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)/ Central Adoption Resource Authority (CARA)
95. अनुरूपता प्रमाण-पत्र (Conformity Certificate) कौन जारी कर सकता है :/ Who can issue Conformity Certificate:
उत्तर/Answer: केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)/ Central Adoption Resource Authority (CARA)
96. AFAA बच्चे के अंतर-देशीय गोद लेने में शामिल है। AFAA का क्या मतलब है ?/ AFAA is involved in Inter-Country Adoption of child. What stands for AFAA?
उत्तर/Answer: अधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण/ Authorised Foreign Adoption Agency
97. अंतर-देशीय गोद लेने में भारतीय राजनयिक मिशनों की भूमिका :/ Role of Indian diplomatic missions in inter-country adoption is:
उत्तर/Answer: विदेशी संभावित दत्तक माता-पिता को सहायक दस्तावेजों के आधार पर वीजा जारी करें।, अनिवासी भारतीय और विदेशी भारतीय कार्डधारकों के अंतर-देशीय गोद लेने के मामले में संपर्क, समन्वय और सुविधा।, विदेश में स्थानांतरित होने वाले दत्तक माता-पिता की शेष प्रगति रिपोर्ट को पूरा करने के लिए गैर-हेग देशों के अधिकृत सामाजिक श्रमिकों के साथ संपर्क करें।/ Issue visa on the basis of supporting documents to foreign prospective adoptive parents, liaise, coordinate and facilitate in the matter of inter-country adoption of Non- resident Indian and Overseas Citizen of India Cardholders., liaise with the authorised social workers of the Non-Hague countries to complete remaining progress reports of the adoptive parents relocating abroad.
98. क्या एक संभावित दत्तक माता-पिता के लिए उस बच्चे के लिंग का चयन करने की अनुमति है जिसे वे अपनाने का इरादा रखते हैं ?/
उत्तर/Answer: हाँ / Yes
99. विनियमन 2022 के अनुसार, CMO गोद लेने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को प्रमाणित करता है। CMO का अर्थ है ?/ As per the regulation 2022, CMO certify the special need child for Adoption. CMO stands for?
उत्तर/Answer: मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ Chief Medical Officer

**Central Adoption Resource Authority
Ministry of Women and Child Development
Government of India**

100. CARA वेबसाइट के लिए नया डोमेन कौन सा है ?

उत्तर/Answer: <https://cara.wcd.gov.in/>

101. CARA का हितधारक इनमें से कौन नहीं है ?/ Which one is not a stakeholder of CARA?

उत्तर/Answer: NFDC

102: गोद लेने के संबंध में, जैविक माता-पिता का क्या मतलब है?/ With respect to Adoption, what biological parents mean?

उत्तर/Answer: पुरुष या महिला जो आनुवंशिक रूप से बच्चे के पिता या माता हैं/ Man or Woman who is genetically father or mother of a child.

103: गोद लेने के संबंध में, बाल अध्ययन रिपोर्ट में क्या होता है?/ With respect to Adoption, Child Study Report contains what ?

उत्तर/Answer: बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि, धर्म, यदि ज्ञात हो/ Child's Date of birth, Social background of child, Religion, if known.

104. बच्चा गोद लेने के संबंध में, अनैतिक अधिनियम/अधिनियम है / हैं ?/ With respect to Child Adoption, unethical act/acts is/are ?

उत्तर/Answer: संभावित दत्तक माता-पिता से शुल्क या उपहार की उम्मीद करना या मांग करना, अपने बच्चे को छोड़ने के लिए जैविक माता-पिता को मजबूर करना, अवैध रूप से बच्चे की सोर्सिंग करना/ Expecting or demanding fees or gifts from potential adoptive parents, Forcing biological parents to relinquish their child, Illegally sourcing the child.

105. माता-पिता या कानूनी अभिभावक के अलावा कोई भी बच्चे को अभ्यर्पित (surrender) नहीं कर सकता है।

उत्तर/Answer: हाँ / Yes

106. यदि अभ्यर्पित (surrender) माता-पिता या कानूनी अभिभावक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो बच्चे को माना जाएगा ?/ if the surrender is by a person other than the parents or legal guardian, the child shall be treated as ?

उत्तर/Answer: परित्यक्त बच्चा/ Abandoned Child